फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 265/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/284) **श्री रतनलाल जाट व अन्य बनाम श्री भेरू उर्फ भेरूलाल जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.02.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री पी.सी.पालीवाल - वकील अपीलार्थी 2. श्री बंशीलाल गर्ग - वकील प्रत्यर्थी-1 से 4 **अनवान** 1. श्री रतनलाल आत्मज श्री नन्दा जाट, जवासिया तहसीलद गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ 2. श्री पप्पूलाल आत्मज श्री नन्दा जाट, जवासिया तहसीलद गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ 3. श्रीमती विमला आत्मज श्री नन्दा जाट, जवासिया तहसीलद गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ 4. श्रीमती सोहनी बेवा श्री नन्दा जाट, जवासिया तहसीलद गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ **अपीलार्थी** 1. श्री भेरू उर्फ भेरूलाल आत्मज स्व.श्री छोगा जाट, जवासिया तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ 2. श्री मुकेश आत्मज स्व.श्री छोगा जाट, जवासिया तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ 3. सीमा आत्मज स्व.श्री छोगा जाट, जवासिया तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ 4. सोहनी बेवा स्व.श्री छोगा जाट, जवासिया तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ 5. रूकमा आत्मज श्री मांगू जाट, जवासिया तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ 6. श्री रामलाल आत्मज भगवाना जाट, जवासिया तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ 7. श्री शंकरलाल आत्मज भगवाना जाट, जवासिया तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ 8. काली आत्मज भगवाना जाट, जवासिया तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ 9. जोरी आत्मज भगवाना जाट, जवासिया तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ 10. श्रीमती सरजु बेवा भगवाना जाट, जवासिया तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ 11. श्री मांगीलाल आत्मज हेमा जाट, जिवानी का खेड़ा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार, गंगरार, बप्रकरण संख्या 04/2020 निर्णय दिनांक 01.02.2021 (अनवान श्री भेरूलाल जाट बनाम नन्दा व अन्य)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 13.02.2023 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय तहसीलदार, गंगरार, बप्रकरण संख्या 04/2020 निर्णय दिनांक 01.02.2021 (अनवान श्री भेरूलाल जाट बनाम नन्दा व अन्य) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार समक्ष नामान्तरकरण संख्या 403 दिनांक 15.12.2000 के विरूद्ध एक अपील अन्तर्गत धारा-75 एलआर एक्ट के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा जवासिया तहसील गंगरार के आराजी संख्या 2080, 2081, 987, 988, 989, 1535, 1543, 1550, 1551, 1552, 2094, 2209, 1524 से 1527, 1542, 1543, 2237 की आराजी उनके एवं रेस्पोडेंटस् (वर्तमान अपील के अपीलार्थी) के पुर्वजों के नाम खातेदारी दर्ज होकर कब्जे काश्त थी। उपरोक्त आराजीयात में जीतु पिता सवाईराम का हक हिस्सा है। श्री जीतु के लाऔलाद फौत हो जाने से उनके वारिसान श्री भेरू पुत्र श्री छोगा, मुकेश पुत्र श्री छोगा, सीमा पुत्री श्री छोगा, सोहनी बेवा श्री छोगा, श्री नन्दा, रामलाल पुत्र श्री भगवाना, शंकरलाल पुत्र श्री भगवाना, सरजु बेवा श्री भगवाना है। जीतु की मृत्यु हो जाने उपरान्त राजस्व अधिकारियों द्वारा सजरा बनाकर इन्तकाल भरा लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा सिर्फ नन्दा एवं भगवाना के नाम मनमर्जी से नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जबकि उक्त भूमि में उनका एवं अन्य वारिसान रेस्पोडेंटस् का भी हिस्सा निहित है। अतः उक्त नामान्तरकरण निरस्त कर भी विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें • उक्त अपील को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोर्ट कैंप कुवालिया में रखा जाकर अपने निर्णय दिनांक 13.07.2016 से अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 403	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 265/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/284) **श्री रतनलाल जाट व अन्य बनाम श्री भेरू उर्फ भेरूलाल जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निरस्त किया और प्रकरण पुनः तहसीलदार, गंगरार को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर पुनः नियमानुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

- उपखण्ड अधिकारी, गंगरार के निर्णय दिनांक 13.07.2016 की अनुपालना में तहसीलदार, गंगरार द्वारा प्रकरण संख्या 04/2020 दर्ज कर नामान्तरकरण संख्या 403 निरस्त कर इन्तकाल संख्या 403 में मृतक जीतु के हिस्से की विरासत का नामान्तरकरण सभी विधिक वारिसान के नाम दर्ज करने का आदेश दिनांक 01.02.2021 प्रसारित किया और यह भी उल्लेख किया कि यदि निर्णय में उत्तराधिकार के संबंध में पक्षकारान व अन्य के कोई हित प्रभावित हो तो सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

उक्त आदेश दिनांक 01.02.2021 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष उक्त अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के प्रस्तुत की। उक्त प्रार्थना पत्र पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया।

दिनांक 03.02.2023 को अधिवक्ता अपीलार्थी व प्रत्यर्थी-1 से 4 उपस्थित, जिनकी बहस सुनी गई। अन्य बावजुद सुचना अनुपस्थित।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि तहसीलदार गंगरार द्वारा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, गंगरार के निर्णय की अनुपालना में दर्ज नहीं कर श्री भेरूलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में आरम्भ किया गया। उक्त प्रकरण में श्री नन्दा की मृत्यु अपीलाधीन निर्णय से पूर्व ही हो चुकी थी, पारित आदेश मृतक के विरूद्ध पारित किया गया, जो अवैधानिक है। प्रकरण में तामिली की कार्यवाही प्रोपर नहीं है। प्रत्यर्थी-1 से 3 द्वारा अपील में विवादित खाते की आराजी में से 17.05.2019 को अपना हिस्सा विक्रय अनुबन्ध से श्री रतनलाल को विक्रय करने का अनुबंध कर पूर्ण विक्रय मुल्य 500000/- प्राप्त कर लिये और आज दिनांक तक पंजीयन नहीं कराया, ऐसे में उनके विरूद्ध कार्यवाही से बचने हेतु श्री भेरूलाल द्वारा तहसीलदार समक्ष अपीलाधीन निर्णय की कार्यवाही कराई गई। अपीलार्थीगण के परोक्ष अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को ससमय नहीं होने से जानकारी प्राप्त होते ही हस्तगत अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। उपरोक्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें और उसके अनुसरण में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1313 दिनांक 02.08.2021 को भी निरस्त फरमाया जावें। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत आरआरडी दिसम्बर 2002 पेज 714 प्रस्तुत किया।

प्रत्यर्थी-1 से 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त बहस के खण्डन में प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायलय का निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत है। मौजा जवासिया तहसील गंगरार के आराजी संख्या 2080, 2081, 987, 988, 989, 1535, 1543, 1550, 1551, 1552, 2094, 2209, 1524 से 1527, 1542, 1543, 2237 की आराजी अपीलान्ट व रेस्पोडेंटस् के पुर्वजों के नाम खातेदारी दर्ज होकर कब्जे काश्त थी। उपरोक्त आराजीयात में जीतु पिता सवाईराम का हक हिससा है। श्री जीतु के लाऔलाद फौत हो जाने से उनके वारिसान अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंटस् है। जीतु की मृत्यु हो जाने उपरान्त राजस्व अधिकारियों द्वारा सजरा बनाकर इन्तकाल भरा लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा सिर्फ नन्दा एवं भगवाना के नाम मनमर्जी से नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जबकि उक्त भूमि में प्रत्यर्थी-1 से 4 का भी हिस्सा निहित है, जिस पर पूर्ण विचार विश्लेषण एवं जांच उपरान्त उपखण्ड अधिकारी, गंगरार द्वारा यह पाया गया कि नामान्तरकरण संख्या 403 स्वीकृत करते समय अन्य वारिसान का नाम दर्ज नहीं किया गया, जिससे उनके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 403 निरस्त करते हुए प्रकरण सभी वारिसान की जांच उपरान्त निर्णय दिनांक 13.07.2016 पारित करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय की

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 265/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/284) **श्री रतनलाल जाट व अन्य बनाम श्री भेरू उर्फ भेरूलाल जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अनुपालना में तहसीलदार गंगरार द्वारा सभी वारिसान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय दिनांक 01.02.2021 पारित कर सभी विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण संख्या 1313 दिनांक 02.08.2021 स्वीकृत किया गया, उक्त निर्णय में सभी वारिसान में श्री नन्दा का भी नाम दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार समक्ष निर्णय पारित किये जाने पूर्व ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जो नन्दा की मृत्यु होना प्रकट करते। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष तामिली की कार्यवाही से पूर्व उसकी मृत्यु नहीं हुई थी अन्यथा तामिल कुनिन्दा द्वारा श्री नन्दा की मृत्यु होने का उल्लेख किया जाता। ऐसें में अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.02.2021 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 21.09.2021 को अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। सवप्रर्थम मयाद के बिन्दु को विनिश्चित किया जाना उचित समझते हुए मयाद अधिनियम कें प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों पर मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा आक्षेपित निर्णय परोक्ष रूप से पारित किये जाने का प्रमुख कारण अंकित किया जिससे न्यायहित में प्रस्तुत अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

दौराने अपीलीय कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 मय दस्तावेज प्रस्तुत किया, जिस पर अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 से 4 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। न्यायहित में प्रस्तुत दस्तावेजों का अभिलेख पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उपखण्ड अधिकारी, गंगरार के निर्णय दिनांक 13.07.2016 के अनुपालना में प्रकरण संख्या 04/2020 दर्ज कर पक्षकारान को सम्मन जारी किये गये, जो बाद तामिल प्राप्त हुए। दौराने अपीलीय कार्यवाही, अपीलार्थीगण ने तहसीलदार द्वारा प्रोपर तामिल की कार्यवाही होने एवं अन्य व्यक्तियों पर तामिल की कार्यवाही होने का कथन किया। उक्त प्रकरण में तामिली की कार्यवाही उपरान्त दिनांक 27.01.2021 को तारिख पेशी नियत थी। परन्तु हस्तगत प्रकरण से संबंधित श्री नन्दराम की मृत्यु दिनांक 25.01.2021 को हो गई, जो मृत्यु प्रमाण पत्र से प्रकट होता है। दिनांक 27.01.2021 को पत्रावली तहसीलदार समक्ष प्रस्तुत हुई, उस दिवस को श्री भेरूलाल उपस्थित हुए जिनके द्वारा पारिवारिक सजरे अनुसार रिश्तेदार श्री नन्दराम की मृत्यु की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय समक्ष नहीं रखी गई, जिससे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गंगरार द्वारा सहवन से मृतक व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित हो गया। निर्णय पारित किये जाने पूर्व स्व.श्री नन्दराम के विधिक प्रतिनिधिओ को अभिलेख पर लेकर कार्यवाही होनी चाहिए थी जो नहीं हो सकी। यह स्पष्ट है कि **अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित किया है, जो कानून की निगाह में शून्य है और निरस्त किये जाने योग्य है।** अतः **अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर** अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गंगरार का निर्णय दिनांक 01.02.2021 त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाता है। तहसीलदार, गंगरार को प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह स्व.श्री नन्दराम के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लेकर, प्रकरण से संबंधित सभी पक्षकारान पर सम्यक् तामिली कार्यवाही करा उभय पक्षकारों को सुनकर नियमानुसार पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार, गंगरार को प्रेषित की जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(अंजलि राजोरिया)
I.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर